GCMS-2025/376

APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटड़ी

सरकार बनाम गीता बाई

किस्म मुकदमा L.R. Act. 136 नं. 64 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/7/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 22/7/25 को पेश हो।	
22/7/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम दीपपुरा के खाता संख्या 55 में नामान्तरण संख्या 937 दिनांक 27.10.2024 विरासत द्वारा सोसर बाई पत्नि स्व0 छितरलाल के वारीसान का नाम दर्ज हुआ। जबकि हिस्सा 1/30 एक प्रविष्टि पूर्व से ही दर्ज है। सोसर बाई पत्नि स्व0 छीतरलाल के फौती नामान्तरण से उक्त नाम की दोहरी प्रविष्टि दर्ज हुई जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। ग्राम दीपपुरा के खाता संख्या 55 में विरासत द्वारा गीता बाई पुत्री छीतरलाल, मुरारीलाल, रामप्रसाद व शान्तीलाल पुत्र छीतरलाल की डबल एन्ट्री हुई है। जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जिसे दुरूस्त किया जाना है। उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम दीपपुरा के खाता संख्या 55 में फौती नामान्तरण संख्या 937 दिनांक 27.10.2024 विरासत द्वारा गीताबाई, मुरारीलाल, शांतीलाल पुत्रान छीतर लाल की डबल एन्ट्री ऑनलाईन हुई है। उक्त त्रुटी फौती नामान्तरण के कारण सहवन से हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम दीपपुरा के खाता संख्या 55 में गीताबाई पुत्री छीतर हिस्सा 1/30 एवं गीताबाई पुत्री छीतरलाल हिस्सा 1/120 के स्थान पर गीताबाई पुत्री छीतर लाल हिस्सा 1/24, मुरारीलाल पुत्र छीतरलाल हिस्सा 1/120 एवं मुरारीलाल पुत्र छीतर हिस्सा 1/30 के स्थान पर मुरारीलाल पुत्र छीतर लाल हिस्सा 1/24, शान्तीलाल पुत्र छीतर लाल हिस्सा 1/120 एवं शान्तीलाल पुत्र छीतर हिस्सा 1/30 के स्थान पर शान्तीलाल पुत्र छीतर लाल हिस्सा 1/24 दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 22/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी को ... को ...	न्यायालय उपखण्ड ...